कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा श्री बाबूलाल शर्मा, प्रधानाचार्य, राबाउमावि, इस्लामपुर जिला झुन्झुनूं का स्थानान्तरण राबाउमावि रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर किया गया था जिसके विरूद्ध बाबूलाल शर्मा द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 657/2021 बाबूलाल शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई ।

अपील संख्या 657/2021 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.01.2021 द्वारा अपीलार्थी बाबूलाल शर्मा को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में 15 दिवस के भीतर सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने एवं सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार 15 दिवस के भीतर एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित किये जाने एवं ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को प्रदान किये जाने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी शारीरिक व पारिवारिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन/समायोजन राउमावि झांझा, बुहान जिला झुन्झुनूं/राउमावि टमकोर, अलसीसर जिला झुन्झुनू अथवा पण्डित बद्रीप्रसाद महर्षि राउमावि अलफसर, फतेहपुर जिला सीकर में प्रधानाचार्य के पद पर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण के निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी द्वारा चाहे गए झुन्झुनूं एवं सीकर जिले के विद्यालयों में प्रधानाचार्य का पद रिक्त नहीं है। अपीलार्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा योगकाल एवं यात्रा भत्ता अनुज्ञेय करते हुए प्रशासनिक आवश्यकता में स्थानान्तरित किया गया है। अपीलार्थी राज्य सेवा के अधिकारी हैं और उन्हें नियोक्ता द्वारा विभागीय प्राथमिकता, प्रशासनिक आवश्यकता, राज्य अथवा विद्यार्थी हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। अन्यत्र पदस्थापित/स्थानान्तरित किये जाने से किसी भी लोक सेवक के विधिक अधिकारों एवं सेवा नियमों का किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं होता। उक्तानुसार श्री बाबूलाल शर्मा का अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। श्री बाबूलाल शर्मा को आदेशित किया जाता है कि वे विभागीय आदेश दिनांक 04.01.2021 की अनुपालना में तत्काल अपने स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/बाबूलाल/657/2021/198 **दिनांक:** 24/02/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू/बीकानेर संभाग, चूरू/बीकानेर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, झुन्झुनूं/श्रीगंगानगर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक झुन्झुनूं/श्रीगंगानगर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री बाबूलाल शर्मा, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य राबाउमावि रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)